06.11.2024 पत्रावली पेश हुई। पेमाराम, शंकरलाल पिसरान मामचन्द, रामदेवी पुत्री मामचन्द माता केसरी देवी, निवासी 4 सी बड़ी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 24.10.2024 पर बहस प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार वादीगण द्वारा उपरोक्त अनवान वाद–पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए बाबत कृषि भूमि वाके चक 1 डी बड़ी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 96/86 के मुरब्बा नम्बर 59 के किला नम्बर 4 ता 7, 13/2 एवं 14 ता 18, 23 ता 25 की कुल 3.087 हैक्टे० हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद–पत्र में वर्णित कृषि भूमि में से, प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 के नाम दर्ज कुल 0.926 हैक्टेयर कृषि भूमि को पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांकित 18.06.2024 के माध्यम से चरणजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, निवासी 2 डी बडी, ओडकी, श्रीगंगानगर को विक्रय की जा चुकी है जिसका नामान्तरण भी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में क्रेता के नाम दर्ज हो चुका है। वाद पत्र में वर्णित प्रश्नगत भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 5 के नाम दर्ज कुल 0.926 हैक्टेयर कृषि भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांकित 18.06.2024 चरणजीत सिंह को बेचान की जा चुकी है तथा चरणजीत सिंह उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि का अभिलिखित खातेदार है जिस कारण उपरोक्त अनवानी वाद–पत्र में क्रेता चरणजीत सिंह प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आता है अर्थात चरणजीत सिंह को उपरोक्त अनवानी वाद–पत्र में पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायाहित में अति आवश्यक है जिससे वाद–पत्र का गुण–अवगुण पर उचित रूप से निस्तारण हो सके । विधिनुसार एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर चरणजीत सिंह को उपरोक्त अनवानी वाद–पत्र में इसी चरण पर पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त अनवानी वाद–पत्र में चरणजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, निवासी चक 2 डी बडी, ओडकी, श्रीगंगानगर को पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु आदेशित किया जावे।,

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब दिनांक 24.10.2024 को पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या– 2, 4 व 5 के नाम 0.926 हैक्टेयर भूमि नहीं बनती बल्कि उन्होने गलत तरीके से अपने नाम करवायी है जिसका दावा अदालत में विचाराधीन है। अगर दावे के बीच में चरण सिंह पुत्र हरनेक सिंह नाम से कोई बैयनामा किया गया है तो वह गलत है। टीपीसी एक्ट की धारा 52 के तहत गलत है तथा जब मलकीती के सम्बन्ध में विवाद अदालत में चल रहा है तो इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता है, ना ही बेचान किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या– 2, 4 को जमीन बेचने का कोई हक नहीं है अगर कोई बेचान किया गया है तो वादी के अधिकारों पर बेअसर है। अप्रार्थी चरण सिंह किसी प्रकार से भी प्रभावित पक्षकार नही है क्योंकि दावे के चलते कोई रकबे का बेचान नहीं किया जा सकता अगर कोई बेचान किया गया है तो वह वादी के अधिकरों पर बेअसर है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अतः प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध बैयनामा दिनांक 18.06.2024 द्वारा पेमाराम, शंकरलाल पिसरान मामचन्द, रामदेवी पुत्री मामचन्द माता केसरी देवी, निवासी 4 सी बड़ी ओडकी तहसील [illegible] श्रीगंगानगर द्वारा अपना हिस्सा चरणजीत सिंह पुत्र रमेश सिंह को विक्रय [illegible] है जिसका नामान्तरण स्वीकृत हो चुका है। अतः चरणजीत सि[illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर हित [illegible] एवं आवश्यक पक्ष[illegible]तीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश [illegible]1 नियम 10(2) सप[illegible] धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः चरणजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह, निवासी चक 2 डी बडी, ओडकी, श्रीगंगानगर को प्रतिवादी संख्या 09 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 27/11/24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 14:00:15 IST
Reason: SelfAttested